



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी-डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या: 503/16

निर्णय दिनांक 13.07.2018

1. गजरा बाई पत्नि सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी भलूरी तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांत

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये पैरोकारराज

—रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 25-06-2015
सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम, कोलायत

उपस्थित:-

1. श्री राधाकिसन स्वामी, अभिभाषक अपीलांत
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांत ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, प्रथम कोलायत के आदेश दिनांक 25-06-2015 जिसके द्वारा अपीलांत का विशेष आवंटन खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांत ने विशेष आवंटन में आवंटन हेतु चक नम्बर 6 एमकेडी के मुरब्बा नम्बर 172/63 की कुल 25 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन में

आवंटित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र आवंटन अधिकारी के समक्ष पेश किया। तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन सतर्कता बीकानेर द्वारा उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 1 के आमंत्रित विशेष आवंटन प्रार्थना पत्रों एवं आवंटन सलाहकार समिति दिनांक 01-05-2010 को किये गये विशेष आवंटन प्रार्थना पत्रों को जाँच उपरान्त निरस्त योग्य होने से निरस्त किये जाते हैं। न्याय का यह सिद्धान्त है कि किसी कारण से आवंटन नहीं सकता तो अपीलांट को कानूनन विशेष आवंटन का अन्य रकबा आवंटन करना चाहिए था। ना कि अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज करना चाहिए था। इस संबंध में माननीय राज्य सरकार एवं आयुक्त उपनिवेशन के समय समय पर ऐसे आदेश जारी किए हुए हैं कि गजट में आवेदित भूमि किसी कारण से नहीं दी जा सकती है तो आवेदक को उसी गजट में दूसरी भूमि आवंटन कर दी जावे। अदालत मातहत ने तथ्य पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्त है।

पत्रावली में कहीं भी नोटिस जारी करने का आदेश नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की गई है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार के बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25-06-2015 के विरुद्ध अपील दिनांक

16-08-16 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र पर अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर आवंटन सलाहकार समिति की राय से खारिज किया गया है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 25-05-2015 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील दिनांक 16-08-2016 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काऊन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने चक नम्बर 6 एमकेडी के मुरब्बा नम्बर 172/63 की कुल 25 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन में आवंटित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र आवंटन अधिकारी के समक्ष पेश किया।

(3) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 01-05-2010 को किये गये विशेष आवंटन एवं विशेष आवंटन हेतु आमंत्रित प्रार्थना पत्र में अनियमितता की शिकायत होने पर श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन सतर्कता बीकानेर द्वारा उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 1 के आमंत्रित विशेष आवंटन प्रार्थना पत्रों एवं आवंटन सलाहकार समिति दिनांक 01-05-2010 को किये गये विशेष आवंटन प्रार्थना पत्रों को बाद जॉच निरस्त किया जाता है।

(4) इस संबंध में हमने अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में जब स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया गया है, कि अपीलांट का चक 6 एमकेडी के मुरब्बा नम्बर 172/63 का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है तथा प्रार्थी द्वारा 500/— रुपये धरोहर राशि जमा करवाई गई का नये सिरे से आवेदन पत्र आमंत्रित करने पर विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर समायोजित की जावे। अतः यह स्थिति स्पष्ट है कि यदि अपीलांट अन्य रकबा आवंटन कराना चाहता है तो नियमानुसार अन्यत्र रकबे के लिए आवेदन कर सकता है। लिहाजा ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलांट अपीलाधीन आदेश के अनुसरण में अन्य भूमि के लिए आवेदन करने हेतु स्वतन्त्र है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त प्रथम कोलायत का आदेश दिनांक 25-06-2015 बहाल रखा जाता है।
8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.07.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर